राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....223/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स शार्प बिजनिस सिस्टम इंडिया प्रा0लि0, जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत चतुर्थ, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03/2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग,, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 2,08,835/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 2,08,835/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना कोई कारण अंकित किए स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जबकि प्रकरण में फर्म द्वारा बिक्रीत वस्तु की प्रकृति एवं कर दर का विवाद था ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में ठहरता है अतः व्यहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 2,08,835/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	